न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2014 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. भम्बू पुत्र झब्बू जाति कण्डेरा निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा(फौत)।
2. कैलाश पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी डोलिका तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. दिनेश सिंह पुत्र रामकिशन चौधरी निवासी मरियाडा तहसील सिकराय जिला दौसा(फौत)
4. विश्राम पुत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 23.06.1961 ग्राम सिकन्दरा बहक अप्रार्थी संख्या 1 भम्बू पुत्र झब्बू जाति कण्डेरा निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय)

उपस्थिति 1. श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

2. अप्रार्थी सं. 1 के कायम मुकाम मनोहर एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार शर्मा उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 3 के कायम मुकाम मंजू देवी पत्नि स्व. दिनेश सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित।
4. श्री विश्राम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 17.05.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटी श्री भम्बू पुत्र झब्बू कौम कण्डेरा निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय को आवंटन आदेश दिनांक 23.06.1961 द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय स्थित खसरा नम्बर 51/1 किस्म गैर मुमकिन टीबा रकबा 1 बीघा भूमि आवंटन शर्तो पर आवंटित की गई थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने पर तहसीलदार सिकराय द्वारा राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुये। नोटिसो पर अंकित रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 3 फौत हो जाना अवगत करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 3 के कायम मुकाम मंजू देवी पत्नि स्व. श्री दिनेश सिंह की ओर से श्री अशोक कुमार जोशी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम मनोहर पुत्र स्व. भम्बू जाति कण्डेरा निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सुनील कुमार शर्मा प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण को खारिज करने के सम्बन्ध में पेश किया गया। जिस पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 भम्बू के वारिस मनोहर एवं अप्रार्थी संख्या 2 कैलाश के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि तहसीलदार सिकराय द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 23.6.1961 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है। उक्त आराजी दिनांक 12.6.1973 को गैर खातेदारी से खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 भम्बू के नाम दर्ज की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 भम्बू की मृत्यु दिनांक 17.09.1994 को हो चुकी थी। जिसकी जानकारी तहसीलदार सिकराय को होने के बावजूद भी वर्ष 2014 में इतनी लम्बी अवधि गुजरने के उपरान्त आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र 14(4) मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया गया है। जो विधि विरूद्ध है तथा प्रथम स्तर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी संख्या 3 दिनेश सिंह के वारिस मंजू देवी पत्नि स्व. श्री दिनेश सिंह के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्य से सहमत होते हुये प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज करने का निवेदन किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि आवंटी श्री भम्बू पुत्र झब्बू कौम कण्डेरा निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय को आवंटन आदेश दिनांक 23.06.1961 द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय स्थित खसरा नम्बर 51/1 रकबा 1 बीघा भूमि राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन शर्तो पर आवंटित की गई थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण तहसीलदार सिकराय द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के वारिस द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई है कि आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 भम्बू की मृत्यु दिनांक 17.09.1994 को हो चुकी है।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध आवंटी भम्बू पुत्र झब्बू के मृत्यू प्रमाण पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आवंटी भम्बू की मृत्यु दिनांक 17.09.1994 को हो चुकी थी। जिसके उपरान्त भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) वर्ष 2014 में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ उक्त आवंटन आदेश दिनांक 23.06.1961 जिसको निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही उक्त आवंटन आदेश की प्रति आज दिनांक तक उपलब्ध करवायी गई है। उप तहसीलदार सिकन्दरा के पत्र दिनांक 1.8.2014 में अंकितानुसार नामा. संख्या 380 दिनांक 12.6.1973 से उक्त भूमि पर भम्बू पुत्र झब्बू को गैर खातेदारी से खातेदारी दी जा चुकी है। इसके पश्चात् खातेदार भम्बू पुत्र झब्बू ने जरिये विक्रय पत्र उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल निवासी डोलिका हिस्सा 1/2 एवं अप्रार्थी संख्या 3 दिनेश सिंह पुत्र रामकिशन चौधरी निवासी मरियाडा हिस्सा 1/2 को बेचान कर दी गई है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 868 दिनांक 21.6.1989 स्वीकार होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है।

मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया जाना, आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान कर दिया जाना तथा उक्त खातेदारी भूमि का जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिये जाने पर वाद बाहुल्य की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार सिकराय द्वारा कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है और ना ही उक्त आवंटन आदेश की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मृतक व्यक्ति आवंटी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किये जाने तथा पर्याप्त दस्तावेज एवं औचित्यपूर्ण तथ्यों के अभाव में तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) पोषणीय नहीं है। इसलिये प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र 14(4) को स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 23.06.1961 बहक अप्रार्थी संख्या 1 भम्बू पुत्र झब्बू जाति कण्डेरा निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official